International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 315-317

दक्षिण एशिया के बदलते स्वरूप और सार्क

अनिल कुमार यादव
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन राजनीतिक रूप में बढ़ने में गतिशील रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में जिस प्रकार का अविश्वास और संदेह रह है उसके मद्देनजर राष्ट्रों के इतर विभिन्न पात्रों से मिल रही खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र बनाना हमेशा समस्या ग्रस्त रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि उस दिशा में कोई ठोस प्रयास हो ही नहीं पाया ऐसी स्थिति में यह कतई आश्चर्यजनक नहीं है कि अपने निर्माण के आरम्भिक वर्षो में संगठन के रूप में सार्क ने ऐसे निर्विवाद मुद्दों को महत्त्व दिया जिनसे आपस में अनावश्यक संदेह न बढ़ पाए। दक्षिण एशियाई देशों के विदेश सचिवों द्वारा मिलकर कोलंबो में 1981 में की गई पहल तैयारी बैठक में निर्विवाद मुद्दों से शुरूआत करने का निर्णय किया गया था। सहयोग के लिए छांटे गए क्षेत्र थे–ग्रामीण विकास, कृषि, मौसम, दूरसंचार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, परिवहन एवं डाक एवं दूरसंचार सेवाएं। तीसरी बैठक में खेलकूद, कला एवं संस्कृति नियोजन एवं विकास के मुद्दों को भी शामिल किया गया। बाद में संगठन ने अर्थिक सहयोग को शामिल करते हुए अपने एजेंडे का विस्तार किया। सार्क के क्षेत्रीय एजेंडे को तय करने में वैश्वीकरण तथा अतंर्राष्ट्रीय व्यापरिक समझौतों की बहुत विस्तृत भूमिका रही है। साल 1988 में सार्क ने आतंकवाद पर घोषणा का अनुमोदन किया। इसका मकसद आतंकवाद के मुद्दे से निपटना था। ढाका में हुए पहले शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई और क्षेत्र के देशों ने आतंकवाद पर घोषणा तैयार की। इसके बावजूद आतंकवादियों की परिभाषा तय करने में मतभेद के कारण यह पहल निर्मूल रही। इससे बुनियादी प्रश्न पैदा हुआ। पड़ोसी देशों द्वारा समर्थित विभिन्न अलगावादी आंदोलनों के कारण भी इस मुद्दे से गहराई से निपटने में समस्या पेश आई। साल 1988 में आंतकवाद संबंधी घोषणा में यह स्पष्ट नीति बनाई गई कि प्रत्यर्पण की प्रार्थना किए जाने पर क्या रूख अपनाया जाएगा। इसके तहत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि सदस्य देशों के बीच भले ही प्रत्यर्पण संधि न हो मगर आपस में प्रत्यर्पण का आग्रह किए जाने पर इस घोषणा के अनुसार उस पर कार्यवाही प्रार्थित देश के नियमानुसार की जा सकती है। घोषणा के अनुच्छेद 1 के तहत ऐसे अपराधों की विस्तृत परिभाषा दी गई है जिन्हें आतंकवाद माना जा सकता हो। इसके साथ ही घोषणा में यह भी प्रावधान था कि यदि इन आतंकवादियों को सदस्य देश अपने कानूनों के तहत प्रत्यर्पित नहीं कर पाते तो उनपर स्वयं ही मुकदमा चलाने के विस्तृत प्रावधान किए गए थे। इसके बावजूद घोषणा के उद्देश्य अब तक फलीभूत नहीं हो पाए। सदस्य देश प्रार्थित अपराधियों के अपनी धरती पर होने से ही इंकार कर देते हैं, उदाहरण के लिए दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छुपे होने का मामला लें, अथवा इन देशों ने आतंकवादियों को गिरफ्तार करके अपने घरेलू कानून तोड़ने के आरोप में जेल में डाल दिया है। जिससे उनका प्रत्यर्पण असंभव हो जाता है। उल्फा नेता अनूप चेतिया का ऐसा ही मामला है। जिसे बांग्लादेश में पासपोर्ट संबंधी नियम तोड़ने के आरोप में कैद कर दिया गया। अलबत्ता तस्करी, नशीली दवाओं का अवैध व्यापार जैसे हाशिये के मुद्दों पर सदस्य देशों ने जरूर कुछ सक्रियता दिखाई है। इसमें से कुछ मुद्दों पर मंत्रणा के लिए गृहसचिवों के स्तर पर बैठक होने लगी है। इसका भी कोई खास परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि यह बैठक दोतरफा कीचड़ उछालो अभियान में तब्दील हो गई हैं।

बहुपक्षीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी विचार विमर्श

यहां यह प्रश्न उठता है समूहिक खतरे और आतंकवादी हिंसा जिनमें बड़े पैमाने पर नागरिक मारे जाते हैं, के बावजूद सदस्य देश आपस में सहयोग करने से झिझकते क्यों है? इसका अर्थ क्या यह नहीं है कि लघु युद्ध लड़ने के लिए आतंकवाद को समर्थन देना आज भी राजनीतिक औजार बना हुआ है? सदस्य देशों के बीच सार्थक सहयोग के विरूद्ध दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या आपसी संदेह और इसका सबसे अधिक इजहार आरंभिक वर्षो में सार्क के गठन के प्रति भारत और पाकिस्तान के रूख से हुआ था। सार्क के गठन के बाद भी अधिकतर देशों ने संगठन का प्रयोग अपने निजी विदेश नीति संबंधी हितों की पूर्ति के लिए करने का प्रयास किया था। बजाए इसके कि वे साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाएं और प्रयास करें। इनमें से कुछ देश जो एतिहासिक बोझ ढोते आ रहें हैं उन्हीं से उनकी राष्ट्रीय अस्मिता का निर्माण हुआ है जिसके तहत उन्होंने अपना विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करने की कोशिश की है। इस प्रकार उन्होंने सदियों पुराने साझी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को ही नकार दिया है। उनकी इस मनोवृत्ति से ही ये ऊहापोह उपजी है कि उनमें आपस में सहयोग बढ़ाने से कही राष्ट्र राज्य के रूप में उनकी विशिष्टता तो खंडित नहीं होगी। भारत का आकार और उसमें छुपी संभावनाएं उसके छोटे–छोटे पड़ोसियों की आशंका का बड़ा स्रोत थे जिन्हें उसकी नीयत पर संदेह था। साझा खतरों के अभाव तथा एक–दूसरे को ही खतरा मानने से मतभेद और गहरा गए। शीतयुद्ध की राजनीति से भी अविश्वास बढ़ा सोवियत संघ के ढहने के बाद दक्षिण एशियाई देशों के लिए आर्थिक सुरक्षा लंबे समय तक प्रमुख चिंता बनी रही। इसके बावजूद यह चिंता राजनैतिक औजार ही सिद्ध हुई है। क्योंकि आर्थिक सहयोग तथा अतंर–क्षेत्रीय व्यापार ऋण लगभग 5 प्रतिशत पर ही कायम है। गैर देशीय पात्रों से बढ़ता खतरा सदस्य देशों के लिए 1990 के दशक के आरम्भ में चिंता का प्रमुख कारण बन गया था। पड़ोसी देशों में विद्रोही समूहों को मिल रहे गुप–चुप समर्थन से सार्क का माहौल गरमा गया था। दक्षिण एशियाई देशों के बीच पहले से मौजूद संदेह आरक्षित सीमाओं, आदि के कारण और बढ गया था। अनेक बार तो सालाना शिखर बैठक का आयोजन भी मुश्किल हो गया था

इससे सहयोग प्रभावित हुआ और सदस्य देश अपने विकास में बाधक बड़े मुद्दों को हल नहीं कर पाए। साल 1990 के दशक में सार्क ने आर्थिक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए। दोतरफा राजनीतिक तापमान का क्षेत्रीय सहयोग के स्वरूप पर असर पड़ा। आतंकवाद के मुद्दे पर विचार के लिए दोतरफा स्तर पर बमुश्किल कोई प्रयास हुआ भले ही देश इन मुद्दों को हल करने की युक्तियो को खोजने का मिलकर प्रयास कर रहे थे। राष्ट्र और समूहों की ऐसी विघटक प्रवृत्तियों से निपटने के लिए सार्क जैसा बहुपक्षीय मंच वैकल्पिक माध्यम साबित हुआ। दुनिया के अन्य हिस्सों में घट रही घटनाओं ने भी क्षेत्र के देशों को अपनी रणनीति के पुनर्नियाजन के लिए प्रेरित किया। ऐसा आतंकवाद की अपनी परिभाषा में बिना किसी आमूल–चूल परिवर्तन के किया गया। दोतरफा सुरक्षा ढांचा क्योंकि बन ही नहीं पाया इसलिए साझी चिंता के मुद्दे के हल के लिए बहुपक्षीय मंच ही माकूल समझा गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सितंबर 2001 में हुए हमले के कारण नीति निर्धारकों को इस मुद्दे पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना पड़ा। आतंक के विरूद्ध वैश्विक युद्धस्थली चूंकि इन देशों से सटी हुई थी, इसलिए दक्षिण एशिया के देशों को इस मामले में आपसी सहयोग की राह अपनानी पड़ी। इसके बावजूद आतंकवाद जैसे साझा एजेंडे को तय करने में भी सदस्य देशों की आपस में गरमागरम बहस हुई। आतंकवाद किसे माना जाए और आतंकवादी कौन हैं, इसे तय करने में भी खासे मतभेद रहे। इन मतभेदों की झलक आतंकाद पर अतिरिक्त घोषणा के अनुच्छेदों की भाषा से मिलती है। अतिरिक्त घोषणा के तहत, ''आतंकवादी वारदात करने के लिए रकम उगाहना और कोष पर कब्जा करना और ऐसी वारदातों को वित्तीय सहायता मिलने के स्रोत बंद करना अथवा उनपर रोक लगाने के लिए अतिरिक्त उपाय करना।'' उसके लिए सदस्य देशों का सहयोग चाहिए था। इनके अलावा सूचना का आदान–प्रदान, आतंकवाद को वित्तीय मदद पर रोक लगाना अथवा उसका उन्मूलन सदस्य देशों के बीच आतंकवादी के प्रत्यर्पण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने जैसे उपाय भी प्रस्तावित हैं। घोषणा पर सार्क के विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में दस्तखत किए थे। इसे 9/11 हादसे की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि उपमहाद्वीप की राजनीति में आतंकवादियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना कोई नई बात नहीं है। इस घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373(2001) संबंधी दायित्व को निभाने के लिए बनाया गया था। पास्तिान इस पर हस्ताक्षर करने से झिझक रहा था उसका कहना था कि स्वतंत्रता सेनानियों और आतंकवादियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। शिखर सम्मेलन की घोषणा के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भी विस्तृत घोषणा पत्र बनाने की कोशिश का उल्लेख है। घोषणा में उन मुद्दों का उल्लेख है जिन पर सदस्य देशों को कार्रवाई करने की जरूरत है। इनके नियमन के लिए उसमें किसी विशिष्ट संस्था के गठन का उल्लेख नहीं है। अलबत्ता इसमें यह प्रस्ताव जरूर है कि इन संगठनों को सार्क देशों में अपने जैसे अन्य संगठनों से सहयोग करने की जरूरत है और संदेहास्पद संगठनों तथा व्यक्तियों से संबंधित सूचना का आपसी लेनदेन करना चाहिए। अनुच्छेद 14 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सार्क घोषणा के अतिरिक्त प्रावधानों के अनुच्छेद 4 में उल्लिखित अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले को राजनीतिक मामला नहीं माना जाएगा अथवा उसके राजनीतिक कारण नहीं गिनाएं जा सकेंगे। अनुच्छेद 17 के तहत देश को यह निर्णय करने का स्पष्ट अधिकार है कि वह इसमें उल्लिखित प्रावधान के तहत विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इंकार कर सकती है। अतिरिक्त घोषणा के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी सदस्य देश द्वारा प्रत्यर्पण की प्रार्थना पर विचार के समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि, ''यदि प्रार्थित देश वाले पक्ष को यह पक्का भरोसा है कि प्रत्यर्पण की दरख्वास्त किसी व्यक्ति को उसकी नस्ल, धर्म, नागरिकता, नस्लीय मूल अथवा राजनीतिक मत के लिए सजा देने के लिए की गई है तथा प्रार्थना से उस व्यक्ति के प्रति उपरोक्त में से किसी कारण से पूर्वाग्रह साबित होगा तो सदस्य देशों का प्रत्यर्पित करने अथवा कानूनी मदद करने का कोई दायित्व नहीं बनता।'' यह प्रावधान उन तमाम प्रयासों पर पानी फेर देगा जो क्षेत्रीय समूह कर रहे हैं। नस्लीय अलगावादी आंदोलन दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों के लिए बड़ी समस्या साबित हो रहे है। इनमें से अनेक समूहों ने हिंसक साधन अपनाए है और अपनी विचारधारा को नहीं मानने वालों अथवा अपने से मतभेद जतानेवाले नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या कर रहे हैं। अतिरिक्त घोषणा के प्रावधानों में सबसे बड़ी कमी पार्थिव देश को प्रत्यर्पण की अर्जी पर यह तय करने का अधिकार देने की है कि कहीं प्रत्यर्पण से उस व्यक्ति की स्थिति का नस्ल, धर्म राष्ट्रीयता आदि के कारण हनन तो नहीं होगा। इसके कारण सदस्य देशों के बीच आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति होने लगती है जिससे ऐसे तत्वों को पड़ोसी देश में पनाह पाने में मदद मिलती है, जिसके उस अन्य देश से संबंध अच्छे नहीं है जिसमें अपराध को अंजाम दिया गया है। आतंकवाद की परिभाषा पर भी देशों के बीच मतभेद हैं।

भारत द्वारा दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों से दोतरफा और बहुपक्षीय संबंध निभाए जा रहे हैं। क्षेत्र के इन सभी देशों के साथ भारत की सीमा असुरक्षित है। उसके कारण परेशानियां भी आती हैं। दोतरफा रूप में हो या बहुपक्षीय रूप में भारत को आतंकवाद के अभिशाप से निटपने के लिए अपने पड़ोसी देशों का सहयोग चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ गृहसचिव स्तर की बैठक लगातार होती हैं इन्ही देशों के साथ भारतीय सीमा सबसे अधिक अनियंत्रित है।

अलबत्ता भूटान और नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है। गृहसचिव स्तर की बैठकों की सफलता अथवा विफलता दरअसल इन देशों के बीच तात्कालिक राजनीतिक तापमान पर निर्भर है। आतंकवाद का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एकीकृत बातचीत में अहम मुद्दे के रूप में शामिल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच हवाना में 2006 में हुई शिखर बैठक के बाद से आतंकवाद से लड़ने के लिए उन्होंने संयुक्त व्यवस्था भी स्थापित की है। जम्मू और कश्मीर को इस संयुक्त व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, मगर भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हरकतों संबंधी गुप्त सूचनाओं को जांचने और साझा करने में यह सक्रिय रहता है। भारत में हाल में हो रही हिंसक वारदातों में बांग्लादेशी उग्रवादियों का हाथ पाए जाने के संदर्भ में भारत–पाक व्यवस्था की भूमिका गौण हो जाती है। मीडिया की खबरों के अनुसार पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाएं आतंकवादी हिंसा फैलाने के लिए भारत की पूर्वी सीमा का प्रयोग कर रही हैं। सार्क के तहत नशीली दवाओं और मनोविचलन पदार्थों की तस्करी पर रोक संबंधी सहयोग भी आता है। चौदहवें शिखर सम्मेलन की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में रोकथाम और उन्मूलन के लिए हरेक संभावित उपाय किया जाएगा विशेषकर प्रावधान का अपराधीकरण करके आतंकवादी हरकतों के लिए वित्त जुटाना, ऐसी हरकतों के लिए बेनामी संगठनों की मार्फत सहित किसी भी रूप में चंदा जमा करना या कोष हासिल करना और नशीली दवाओं तथा मनुष्यों और हथियारों की तस्करी।

आतंकवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का भविष्यः

आतंकवाद पर सार्क घोषणा पत्र के अतिरिक्त प्रावधानों पर वास्तविक रूप में अमल करना आवश्यक है। यहां इस बात पर जोर देना जरूरी है कि क्षेत्र के लगभग सभी देश आतंकवाद की चुनौती से रूबरू है। इनमें से कुछ समूहों पड़ोसी देशों के बीच विवादास्पद संबंधों का फायदा उठाकर सीमापार सुरक्षित पनाह ले रखी है, क्योंकि उन्हें यह बखूबी पता है कि राष्ट्रीय सरकारों के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। कुछ मामलों में तो पड़ोसी देशों ने ऐसी नीतियों के दूरगामी परिणामों की अनदेखी करके भू–राजनैतिक फायदे के लिए पनाह दे रखी है। अतीत में आतंकवादी को शरण देना दरअसल किसी देश पर राजनैतिक दबाव डालने का औजार समझा जाता था। कश्मीर के संदर्भ में इस नीति का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता रहा है। सक्रिय आतंकवादियों के अतंराष्ट्रीय नेटवर्क को देखते हुए आतंकवाद से लड़ाई किसी एक देश के अकेले बस में नहीं है। जैसा कि पहले भी देखा गया है, आतंकवादियों ने किसी न किसी बहाने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना के प्रयासों को पलीता लगाया है। संसद पर दिसंबर–2001 का हमला और बाद में मुंबई में विस्फोट इसकी जीवंत मिसाल है। उसी के कारण साल 2006 में भारत–पाकिस्तान सचिव स्तरीय बैठक रद्द हो गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच अनियंत्रित सीमा सबसे बड़ी समस्या है। भारत में हाल के बम विस्फोटों में बांग्लादेशियों के शामिल होने की वारदातों से दोनों देशों के बीच फिजूल की कटुता पैदा हो सकती थी। यहां इस बात का उल्लेख आश्यक है कि साल 2005 में 17 अगस्त को बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हुए 459 बम विस्फोटों से आतंकवाद के खतरे और उसकी अंतरर्राष्ट्रीय जड़ों की धारणा पुष्ट होती है। बम बनाने की सामग्री में से कुछ सामान भारत में से भी जुटाया गया था। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं कि दक्षिण एशिया की सरकारों के मुकाबले इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी जमातों के बीच तालमेल बेहतर है। आतंकवादी समूहों को इस बात का बखूबी मान है और उन्होंने देशों के बीच भाईचारे की कमी का फायदा भी उठाया है।

छोटे हथियारों का प्रचलन और क्षेत्र भर में इनकी बेरोकटोक बिक्री बेहद चिंताजनक है। आतंकवादी अनियंत्रित सीमा का फायदा उठाकर अपने स्थानीय साथियों की मार्फत इन हथियारों का आदान–प्रदान करते है। साल 2004 के अप्रैल में चटगांव में हथियारों का ऐसा ही जखीरा पकड़ा गया था। अतिरिक्त घोषणा के प्रावधानों में इसकी रोकथाम के आंशिक उपाय है, जैसे आतंकवादियों को मिलनेवाली आर्थिक मदद, लेकिन हथियारों की आपूर्ति और प्रशिक्षण के उनके संभावित स्रोतों पर नजर गड़ाए बगैर इस स्थिति से पार पाना मुश्किल होगा। अतिरिक्त घोषणा पर दस्तखत की परिस्थतियां भी कम विडंबनापूर्ण नहीं है। सार्क देश हालांकि आतंकवाद से लंबे समय से ग्रस्त हैं, मगर उसके बावजूद इस पर सितंबर 2001 की वारदात के बाद और वो भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1373 की पुष्टि के लिए दस्तखत किए गए। आतंकवादियों की वित्तीय मदद का मुद्दा अखबारों की लंबे समय से सुर्खी बनने के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आतंकवाद की नकेल कसने के लिए कभी एकजुट नहीं हुए। एक्षिण एशिया का हरेक देश आतंकग्रस्त है मगर वह इससे संयुक्त रूप में लड़ने का आपसी भरोसा अब तक नहीं बना पाए है। आतंकवादियों द्वारा तबाही फैलाने में कामयाबी का बड़ा कारण इन देशों द्वारा आपस में खुफिया सूचनाओं का आदान–प्रदान तक नहीं कर पाना है।

क्या साझा सुरक्षा सिद्धांत तय किया जा सकता है? दोतरफा संबंधों की स्थिति को देखते हुए साझा सुरक्षा सिद्धांत तय कर पाना कठिन होगा। इसके बावजूद आतंकवाद के मुद्दे पर देश के बीच पिछले कुछ अरसे में दृढ़ता दिखाई दी है। पाकिस्तान में हाल के कुछ साल में आत्मघाती बम हमलों में बहुत तेजी आई है, जिससे कभी–कभी तो राजनीतिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो चुका है। इसी प्रकार अफगानिस्तान भी ''आतंक से युद्ध'' के तहत आतंकवाद से लड़ रहा है। नेपाल को हिंसक वारदातों में लगे विभिन्न समूहों ने चुनौती दी है और सीमापार शरण ले ली है। बांग्लादेशों और श्रीलंका भी ऐसी ही चुनौतियों से रूबरू है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यही गैर–सरकारी पात्र सबसे बड़ा खतरा बन गए है। यही चुनौती देशों के बीच दोतरफा मुद्दों के इतर सहयोग को और गहरा करने का जबरदस्त अवसर भी है। यदि इस कवायद में सफल होना है तो साझा सुरक्षा और सिद्धांत तैयार करना ही होगा। उपमहाद्वीप में स्थिरता और अस्थिरता दरअसल देश सापेक्ष नहीं रह गई है। इसके सीमापार तक फैल जाने की आशंका बन बई है, जिससे संघर्ष बढ़ सकता है। सुरक्षा के इस पैमाने का आधार साझा सुरक्षा सिद्धांत होना चाहिए। यह सिद्धांत राजनीतिक कारणों सहित किसी भी मकसद से जनसंहार और हिंसा में शामिल किसी भी संगठन या व्यक्ति से निपटने के लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। साझा सुरक्षा ढांचा बनाना वर्तमान में असंभव भले लगे, मगर इसके यथार्थ बन जाने के पूरे आसार है। सभी देश चूंकि अपने–अपने स्तर पर अतिवाद से जूझ रहे है, इसलिए उनके प्रयासों को एकजुट करनेवाली कोई भी प्रक्रिया अधिक फलदायी होगी। सैन्य संघर्ष के आसार धूमिल होने के साथ ही गैर सरकारी पात्रों की चुनौती बढ़ती ही जा रही है। दक्षिण एशिया के देशों को इन गैर जवाबदेह पत्रों को उनकी हिंसक हरकतों के द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने और उनमें दखलंदाजी का मौका और क्षमता नहीं पैदा होने देनी चाहिए। ऐसे ही गैर जवाबदेह पात्र पहले भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता को रूकवा कर दोनों देशों को युद्ध के कगार पर पहुंचा चुके है। इसलिए यह आवश्यक है कि दक्षिण एशिया के देश क्षेत्र में शांति स्थापना की बागडोर इन समूहों के हाथ में न जाने दें। मानवीय दृष्टिकोण सहित सभी देशों की चिंताओं को समाहित करने वाला साझा सुरक्षा सिद्धांत आतंकवाद से लड़ने में बहुत कारगर सिंद्ध होगा और सार्क उसे ढांचा और संदर्भ प्रदान करेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति का सफर आरंभ करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. दीपाकर बनर्जी संपादित पुस्तक 'सार्क इन द 21वीं सेंचुरी : टवड्र्स अ को–ऑपरेटिव म्यूचर' 2010, पृ0 241, 43
2. मुनि एस0डी0 : 'इंडियन इन सार्क : अ रिलक्टेट पॉलिसी मेकर' बोर्न हेतने एव अन्य संपादित ''नेशनल पर्सपेक्टिव्स ऑन द न्यू रीजनलिज्म इन द साऊथ'' मे वॉल्यूम–3, नई दिल्ली, मैकमिलन, 2004, पृ0 122, 123
3. Set up a South Asian University: India Rediff News, 2005.
4. Cabinet clears South Asian University Bill, The Hindu, 2008.
5. South Asian University to offer Science, arts courses together, Economic Times, 2008